बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना–15, दिनांक–

संख्या– 1/स्थाप–5001/2007–357/भारत संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल ''बिहार नियोजन आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग नियमावली, 2008 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**
   (क) यह नियमावली **''बिहार नियोजन आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2014''** कही जा सकेगी।
   (ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (ग) यह तुरन्त प्रवृत होगी।
2. उक्त नियमावली 2008 का नियम–4 का उप नियम (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:–
   ''(क)आशुलिपिक ग्रेड–III की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आशुलेखन, कम्प्यूटर संचालन एवं टंकण ज्ञान के साथ इन्टरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण अथवा समकक्ष होगी''।
3. उक्त नियमावली, 2008 के नियम–4 के उप नियम (घ) के बाद निम्नलिखित नया उप नियम (ङ.) जोड़ा जायेगा:–
   ''(ङ.) संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों के लिए उनके द्वारा बितायी गयी अवधि का सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिए गये दिशा–निदेशों के अनुसार अधिमान (वेटेज) दिया जायेगा''।

19.5.14
(देव नन्दन यादव)
सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–1/स्थाप–5001/2007–357 पटना–15, दिनांक–
प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

19.5.14
सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

/स्थाप–5001/2007 – 357 पटना–15, दिनांक–
प्रतिलिपि– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

19.5.14
सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

Manoj Sir-p43

(29)

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना

पटना–15, दिनांक–

संख्या– 1/स्थाप–5001/2007–387/अधिसूचना संख्या .... दिनांक–..................... का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकारी से एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत–संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

19.5.14

(देव नन्दन यादव)
सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

Government of Bihar
Labour Resource Department
NOTIFICATION

Patna-15,dt.-

N0. 1/Esst-5001/2007.–387............/In exercise of Power conferred under proviso to Article-309 of the constitution of India, The Governor of Bihar is pleased to make the following amendment Rules to amend the Bihar Employment Stenographer/Steno-typist Cadre Rules, 2008.

1. **Short title, extent and commencement.-**
   (a) The Rules may be called as the Bihar Employment Stenographers/Steno-typists Cadre (Amendment)Rules-2014
   (b) It shall extend to whole of the State of Bihar
   (c) It shall come into force with immediate effect.
2. Sub rule (a) of Rule 4 of the said Rules 2008 shall be substituted by the following:-
   "(a) For appointment to the post of Steno-typist Grade-III minimum educational qualification shall be Intermediate (10+2) pass or equivalent with knowledge of shorthand- writing, computer operation and computer typing" .
3. The following new sub rule (e) shall be added after sub rule (d) of Rule 4 of the said Rules, 2008:-
   "(e) For those employees working on contract basis, the period spent by them shall be given due weightage in accordance with the guidelines given by the General Administration Department."

19.5.14

(Deo Nandan Yadav)
Joint Secereatary
Labour Resource Department
Bihar, Patna.

ज्ञापांक–1/स्थाप–5001/2007 –387 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

19.5.14

(देव नन्दन यादव)
सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

Manoj Sir-p44

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

"अधिसूचना"

संख्या-1/स्था0-5001/2007.........758 पटना, दिनांक- 26/5/08

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल श्रम संसाधन विभाग के नियोजन पक्ष में आशुलिपिकों / आशुटंककों की भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

अध्याय -1

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :-**

(1) यह नियमवाली " बिहार नियोजन आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग नियमावली, 2008" कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत होगी ।

2. **परिभाषा :-** इस नियमावली में, जब तक कोई बात संदर्भ में विरूद्ध न हो :-

(क) 'विभाग' से अभिप्रेत है श्रम संसाधन विभाग;

(ख) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है श्रम संसाधन विभाग के नियोजन पक्ष में कार्यरत आशुलिपिक / आशुटंकक संवर्ग;

(ग) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना, तथा

(घ) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग ।

3. **संवर्ग का गठन :-**

(1) जो व्यक्ति, इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व से निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण के नियोजन पक्ष तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में आशुलिपिक/आशुटंकक के पद पर नियुक्त एवं कार्य कर रहे है, स्वतः इस संवर्ग में शामिल समझे जायेंगे ।

(2) यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा तथा निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन पक्ष) बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा ।

(3) विभिन्न कोटि के आशुलिपिकों की संख्या का आकलन उनके स्वीकृत बल के आधार पर होगा ।

(4) आशुलिपिकों/आशुटंककों के स्वीकृत बल की संख्या राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर बढ़ायी या घटायी जा सकेगी ।

(5) आशुलिपिक/आशुटंकक के संवर्ग के पद सोपान निम्नरूपेण होंगे -

कमांक	ग्रेड	वेतनमान्	स्तर
क	ग्रेड III	4000-100-6000	मूल कोटि
ख	ग्रेड II	5000-150-8000	प्रोन्नति का प्रथम स्तर
ग	ग्रेड I	5500-175-9000	प्रोन्नति का द्वितीय स्तर

4. **नियुक्ति की प्रक्रिया :-**

(क) आशुलिपिक ग्रेड-III के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिकुलेशन एवं आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर में दक्षता होगी ।

(ख) नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु-सीमा 18 वर्ष होगी । अधिकतम आयु-सीमा वही होगी, जो राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा राज्यकर्मियों के लिए समय-समय पर विनिश्चित की जाय ।

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक वर्ष कोटिवार वास्तविक रिक्तियों के आधार पर आयोग को सूचना उपलब्ध कराते हुए अधियाचना भेजेंगे ।

(घ) आयोग अभ्यर्थियों की लिखित प्रतियोगिता परीक्षा लेगा और ऐसी परीक्षा में पाए न्यूनतम अर्हतांक एवं व्यावहारिक दक्षता जाँच के आधार पर एक मेधा सूची तैयार करेगा तथा अपनी अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगा । लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग के परामर्श से तैयार किया जायेगा । उम्मीदवारों को सफल होने के लिये पूर्णांक का न्यूनतम 50 प्रतिशत अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा । हिन्दी एवं अंग्रेजी में आशुलेखन के लिए न्यूनतम अर्हक 80 शब्द प्रति मिनट की गति एवं टंकण की गति 30 शब्द प्रति मिनट होगी । सफल होने के लिए आशुलेखन गति में 10 प्रतिशत एवं टंकण में 1.5 प्रतिशत से अधिक अशुद्धि मान्य नहीं होगी । कम्प्यूटर संचालन में दक्षता एम0एस0वर्ड्स, एम0एस0एक्सेल एवं एम0एस0पावर प्वाइंट में दक्षता की भी जाँच की जायेगी ।

5. **परिवीक्षा अवधि :-**

नियुक्ति परिवीक्षा पर होगी, जो दो वर्षों के लिए होगी । अगर नियुक्त कर्मी की सेवा एवं आचार संतोषप्रद नहीं होगा तो उनकी परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी । अगर नियुक्त कर्मी की सेवा एवं आचार विस्तारित अवधि में भी संतोषप्रद नहीं रहा तो वैसे कर्मी की सेवा समाप्त कर दी जायेगी ।

6. **प्रशिक्षण :-**

परिवीक्षा अवधि में कर्मी को प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान या कोई अन्य संस्थान जो कि राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित है, के मॉर्डन ऑफिस प्रैक्टिस के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना होगा ।

7. **विभागीय परीक्षा एवं सम्पुष्टि :-**

(1) राजस्व पर्षद की केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष विभागीय परीक्षा आयोजित की जायेगी ।

(2) विभागीय परीक्षा आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर दक्षता की जाँच के लिए होगी, जिसमें आशुलेखन एवं टंकण/कम्प्यूटर की गति क्रमशः 80 एवं 30 शब्द प्रति मिनट होगी । विभागीय परीक्षा में असफल होने पर प्रथम वेतनवृद्धि के बाद आगे की वेतनवृद्धि विभागीय परीक्षा पास होने तक रोक दी जायेगी ।

(3) नियुक्त कर्मी परिवीक्षा अवधि एवं प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने तथा विभागीय परीक्षा में सफल होने पर संवर्ग में सम्पुष्ट किये जा सकेंगे ।

8. **प्रोन्नति :-**

(1) संवर्ग में सम्पुष्ट आशुलिपिकों की प्रोन्नति ग्रेड-III से ग्रेड-II एवं ग्रेड-II से ग्रेड-I में सम्पुष्टि एवं सक्षमता-सह-वरीयता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर होगी ।

(2) राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना) द्वारा समय-समय पर विनिश्चित कालावधि पूरा करना एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में प्रोन्नति के लिए आवश्यक होगा ।

9. **आरक्षण :-**

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लागू आरक्षण नीति का नियुक्ति एवं प्रोन्नति में दृढ़ता से अनुपालन किया जायेगा ।

10. **पदस्थापन / स्थानान्तरण :-**

नियुक्त आशुलिपिकों का पदस्थापन एवं स्थानान्तरण निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन पक्ष) के क्षेत्रीय कार्यालयों में होगा । पदस्थापन/स्थानान्तरण की शक्ति निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण में सन्निहित रहेगी, जो सरकार के एतद् विषयक समय-समय पर निर्गत निदेशों/अनुदेशों के आलोक में पदस्थापन/स्थानान्तरण कर सकेंगे ।

11. इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नहीं हो सका है, उनके लिए राज्य सरकार के प्रासंगिक संहिता / नियमावली / संकल्प / अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।

12. **निरसन एवं व्यावृत्ति :-**

इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि से पूर्व के सभी प्रासंगिक संकल्प/परिपत्र आदि निरसित समझे जायेंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(व्यास जी)
प्रधान सचिव,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक-1/स्थाप-5001/2007- 758 पटना-15 दिनांक 26 मई 2008

प्रतिलिपि-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

प्रधान सचिव,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक-1/स्थाप-5001/2007- 758 पटना-15 दिनांक 26 फरवरी 2008

प्रतिलिपिः- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

2. उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना को बिहार राज्यपत्र के अगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 50 प्रति निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण(नियोजन), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय ।

प्रधान सचिव,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना ।